प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.जयपुर, नगर–प्रथम जयपुर, थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2023
प्र.ई.रि.सं. 238/2023 दिनांक 4/9/2023..........,
2.–(1) अधिनियम ..... धारायें 13 (1) (बी), 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
(2) अधिनियम...........भा0द0स0.................... धारायें ....
(3) अधिनियम......................... धारायें.......................................
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या........64..................समय.....12.50 PM...
(ब) अपराध के घटने का दिन शनिवार दिनांक 22.10.2022, **समय 6:45 पी.एम.**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 22.10.2022
4.–सूचना की किस्म :–(लिखित / मौखिक) **सूत्र सूचना**
5–घटनास्थल का ब्यौरा:–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण करीब 23 किलोमीटर ए.सी.बी., मुख्यालय जयपुर से
(ब) पता – शिवदासपुरा टोल नाका, जयपुर।
....बीट संख्या ....जरायमदेही सं....................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला........
6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– श्री नीरज गुरनानी उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, नगर प्रथम, जयपुर
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या.........................जारी होने की तिथि....................जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– नौकरी
7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
1– श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व. श्री पन्ना लाल जाति जाटव उम्र 54 वर्ष निवासी नयाबास, तह. व थाना बसेडी, धौलपुर हाल निवासी मकान नं. 22/बी/24, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत करौली, जिला करौली।
8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....
9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–
10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य ....1,56,100/–रूपयें
11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..
12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय,

मामला वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 22.10.2022 को समय करीब 2 पीएम पर ब्यूरो मुख्यालय हैल्प लाईन टोल फ्री नं. 1064 पर इस आशय की सूत्र सूचना प्राप्त हुई कि जिला मुख्यालय करौली पर पदस्थापित एसई (अधीक्षण अभियन्ता), पी.डब्लू.डी. विभाग आज दिन में रिश्वत की राशि लेकर अपनी कार ब्रेजा नं. आरजे–45–सीएम–8154, बरंग सफेद से प्रताप नगर जयपुर जायेगा। एसई ने कल चम्बल ब्रिज वाले से 5–7 लाख रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है तथा हिण्डौन सिटी से रूपये लाने गया हुआ है। जिसका सम्भावित रूट करौली गंगापुर सिटी, लालसोट, जयपुर हो सकता है आदि। माननीय न्यायालय से तलाशी वारन्ट प्राप्त करने में समय लगने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस विधि के प्रावधानों के अनुसार उक्त सूचना पर ब्यूरो उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मय् हमराहीयान जाप्ता श्री मनोहर सिंह है.

कानि 42, श्री मनु कानि. 111, श्री लालू कानि. 418, मय स्वतन्त्र गवाहान मय सरकारी वाहन आरजे–14–यूडी–1394 सहित ब्यूरो कार्यालय जयपुर से रवाना होकर संदिग्ध के जयपुर लौटने के सम्भावित रूट शिवदासपुरा टोल नाके के पास करीब 5:30 पीएम पर पहूंच कर सरकारी वाहन को सड़क के किनारे खडा करवाया जाकर सर्च पार्टी के सदस्यों को मौका अनुसार टोल नाके के आसपास गोपनीयता बनाये रखते हुए खडा किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस भी मौके पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा होकर उक्त वाहन ब्रेजा नं. आरजे–45–सीएम–8154, बरंग सफेद के वाहन का आने का इन्तजार करते हुए मुकीम हुआ। समय करीब 06:05 पीएम पर उक्त वाहन टोल नाके पर आकर रूका जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता को साथ लेकर वाहन ब्रेजा नं. आरजे–45–सीएम–8154, बरंग सफेद के पास पहूंचा जिसकी ड्राईवर सीट पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ था जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त वाहन को टोल नाके से साईड़ में खडा करवाया तथा ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति को वाहन से बाहर बुलाकर मन् उपअधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने का मन्तव्य बताकर उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री स्व. श्री पन्ना लाल जाति जाटव उम्र 54 वर्ष निवासी नयाबास, तह. व थाना बसेडी, धौलपुर हाल निवासी मकान नं. 22/बी/24, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत करौली, जिला करौली होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं हमराहीयान जाप्ता की जामा तलाशी लिये जाने हेतु श्री राजवीर सिंह को कहा तो उन्होने तलाशी लेने से मना किया जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त वाहन ब्रेजा नं. आरजे–45–सीएम–8154, बरंग सफेद की तलाशी लेने हेतु कहा तो श्री राजवीर ने स्वयं एवं उक्त वाहन की तलाशी लिये जाने हेतु सहमति प्रदान की जिस पर उपरोक्त मौतबीरान के समक्ष उक्त वाहन की तलाशी ली गई तो आगे की दोनों सीटों के बीच स्थित आर्म रेस्ट के बॉक्स कवर के अन्दर एक प्लास्टिक की सफेद रंग की थैली में नोट रखे मिले उक्त नोटो की थैली को गवाह श्री मनोज चावरियां से बाहर निकलवाया जिसमें 500–500 रूपये की तीन गड्डी तथा 500–500 रूपये के कुछ खुले नोट मिले उक्त नोटो को उपरोक्त गवाहान से गिनवाया तो 500–500 रूपये के तीन गड्डीयों में 300 नोट तथा 500 रूपये के 12 नोट एवं 100/– रूपये का एक नोट इस प्रकार कुल 1,56,100/–(एक लाख छप्पन हजार सौ रूपये) होना पाये गये। उक्त नोटो को गवाह श्री मनोज चावरियां के पास सुरक्षित रखवाये तथा उक्त वाहन ब्रेजा नं. आरजे–45–सीएम–8154, बरंग सफेद की अन्य तलाशी ली तो मिठाई के चार डब्बे, एक ब्रीफकेस जिसमें एक जोडी इस्तेमाली कपड़े तथा एक प्लास्टिक के फॉल्डर में मिटिंग संबंधित कागजात पाये गये। उक्त राशि 1,56,100/–(एक लाख छप्पन हजार सौ रूपये) के बारे में श्री राजवीर सिंह अधीक्षण अभियन्ता से पूछा तो उन्होने बताया कि मेरा गांव बसेडी जिला धौलपुर में है वहां पर अभी कुछ समय पहले तिल और बाजरा की खेती हुई थी। खेती मजदूरों से करवाते हैं, मजदूरों के नाम और उनके फोन नम्बर मुझे अभी ध्यान नहीं है। लगभग आठ दिन व पन्द्रह दिन पहले दो बार में मैंने स्वयं उक्त फसल को जगनेर, बसेड़ी, तांतपुर व बाडी में खुले में बेचा था, मण्डी में नहीं बेचा था किस को बेचा था पता नहीं है, यह उसी फसल बेचान की राशि है। उक्त जवाब संतोषप्रद व जवाब की उचित पुष्टि नहीं होने के कारण राशि संदिग्ध प्रतीत हुई। मौके पर लिखा पढ़ी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना शिवदासपुरा में किये जाने का निर्णय लेकर मय् हमराहीयान जाप्ता व श्री राजवीर सिंह अधीक्षण अभियंता एवं उनके वाहन ब्रेजा नं. आरजे–45–सीएम–8154, बरंग सफेद को साथ लेकर मय सरकारी वाहन से शिवदासपुरा टोल नाके के पास से रवाना होकर पुलिस थाना शिवदासपुरा पहुँचा जहाँ थाना प्रभारी को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की। श्री राजवीर सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री मनोज चावरिया से लिवाई गई तो एक मोबाईल बरंग

नीला सैमसंग कम्पनी जिसके आईएमईआई नं. 354076/82/137654/0 व 356186/69/137654/2 मिला तथा मोबाईल एवं सिम का लॉक होना नही किया जाना बताया तथा मोबाईल में एक सिम 9414353039 तथा दूसरी सिम नम्बर 7357935049 होना बताया तथा एक काले रंग का पर्स मिला जिसमें आधार कार्ड जिसके नम्बर 3323 6800 6278, एक एटीम कार्ड ऐक्सिस बैंक का जिसके नम्बर 5346800032331147, तथा नाम श्री राजवीर सिंह अंकित थे ,5510/–रूपये नगद, विभागीय आईकार्ड मिला। 5510/– रूपये नगद के बारे में श्री राजवीर से पूछने पर उन्होने खर्चे के लिए अपने पास रखना होना बताया। 5510/– रूपये व पर्स व आधार कार्ड, एटीम कार्ड, आई कार्ड आदि को श्री राजवीर सिंह को रूबरू गवाहान लोटाया गया।

दौराने सर्च कार्यवाही श्री राजवीर सिंह अधीक्षण अभियन्ता पूछने पर बताया कि मैं सहायक अभियन्ता के पद पर 1996 में भर्ती होकर वर्तमान में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर करीब ढेड साल से सा.नि.वि. वृत करौली में पद स्थापित हूँ। मेरा वेतन एसबीआई बैंक शाखा कलेक्ट्रेट, करौली में आता है। उक्त वाहन ब्रेजा नं. आरजे–45–सीएम–8154, बरंग सफेद मैंने दिसम्बर 2020 में स्वयं के नाम विपुल मोटर्स, जयपुर से खरीदा था। मैं मूल रूप से बसेडी, धौलपुर का रहने वाला हूँ जहां मेरा पैतृक मकान है जहां मेरे चार भाई परिवार सहित निवास करते है। मेरा ससुराल म. नं. 70/2, रावजी का बाग, करतारपुरा फाटक, अम्बेड़कर नगर, जयपुर थाना ज्योतिनगर में है जहां मेरी पत्नी व बड़ा बेटा अभी रूके हुए हैं मेरी पत्नी और बड़ा बेटा व मैं करौली में कारूराम जाटव ठेकेदार के मकान अम्बेडकर सर्किल के पास सुभाष नगर, करौली में साथ रहते हैं। मेरा एक मकान नं. 22/बी/24, हल्दीघाटी मार्ग, घोडा सर्किल, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर में है। मेरे दो बच्चे हैं बड़े बेटे का नाम पियूष है जो रोपड़ से आईआईटी कर चूका है और अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तथा छोटा बेटा जिसका नाम रोहन है जो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से एनआईटी कर रहा है। मेरे गांव में जमीन है परन्तु मुझे ध्यान नहीं है कितनी है तथा उक्त वाहन ब्रेजा नं. आरजे–45–सीएम–8154 को मय चाबी सहित श्री राजवीर सिंह को लौटाया गया तथा वाहन ब्रेजा नं. आरजे–45–सीएम–8154 की तलाशी में मिले 1,56,100/–(एक लाख छप्पन हजार सौ रूपये) तथा जामा तलाशी में मोबाईल को कब्जा एसीबी लिया गया उपरोक्त के अलावा अन्य कोई वस्तु/ दस्तावेज/राशि कब्जा एसीबी नहीं ली गई।

दौराने सर्च वाहन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया। सर्च पूर्ण होने पर श्री राजवीर सिंह को मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं सर्च पार्टी की तलाशी लेने हेतु कहा तो श्री राजवीर सिंह ने तलाशी लेने हेतु मना किया।

फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरीन को पढ़कर सुनायी गई सुन–समझ कर सही मानकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। फर्द की एक प्रति श्री राजवीर सिंह अधीक्षण अभियन्ता को निःशुल्क दी जाकर बाद मुनासिब हिदायत रूखसत किया गया।

इस प्रकार श्री राजवीर सिंह अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत करौली, जिला करौली को अवैध रूप से एकत्रित की गयी रिश्वत राशि 1,56,100/– रूपये वाहन ब्रेजा नं. आरजे–45–सीएम–8154, बरंग सफेद में अपने साथ लेकर दीपावली के त्यौहार पर अपने घर जयपुर जा रहा था जिसे दिनांक 22.10.2022 को 6:45 पीएम पर चैक किया तो उक्त राशि उसके वाहन ब्रेजा नं. आरजे–45–सीएम–8154, बरंग सफेद से बरामद हुयी। श्री राजवीर सिंह के पास मिली कुल 1,56,100 रूपये के संबंध में श्री राजवीर सिंह का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया और न ही उक्त राशि का लेखा जोखा प्रस्तुत किया अतः एक दिवसीय चैक पीरियड मानते हुए धारा 13(1)(बी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध बनना पाया गया।

अतः उक्त आरोपी श्री राजवीर सिंह अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत करौली, जिला करौली पर जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का

अपराध घटित पाये जाने पर श्री राजवीर सिंह अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत करौली, जिला करौली के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है।

(नीरज गुरनानी)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी), 13(2)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व. श्री पन्ना लाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत करौली, जिला करौली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 238/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई।

4/9/23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 2707-10 दिनांक 04.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक(क-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

4/9/23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।